राजस्थान में जेण्डर संवेदी बजट : एक अध्ययन

Gender Responsive Budget in Rajasthan : A Study

नेसार अहमद

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

राजस्थान में जेण्डर संवेदी बजट : एक अध्ययन

Gender Responsive Budget in Rajasthan : A Study

नेसार अहमद

Budget Analysis Rajasthan Centre

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र, जयपुर

पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर (राज.)

फोन / फैक्स : 0141 2385254 ई–मेल : info@barcjaipur.org

वेबसाईट : www.barcjaipur.org

अध्ययन एवं शोध : नेसार अहमद

शोध सहायता : अमनदीप कौर, गंगा शर्मा

अनुवाद एवं सम्पादन :गोपाल वर्मा

इस रिपोर्ट को शोध, अध्ययन एवं प्रशिक्षण हेतु उचित संदर्भ के साथ उपयोग में लिया जा सकता है।

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र ©

प्रथम संस्करण नवम्बर 2013

प्रकाशक : बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

मुद्रक : प्रिंट मिडिया सर्विसेज

निवारू रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर – 302012

अनुक्रम

अध्याय	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	III
जेण्डर संवेदी बजट : एक परिचय	1—10
जेण्डर बजट विवरण	
जेण्डर बजट की 5— चरण प्रक्रिया	
राजस्थान में महिलाओं की स्थिति	
राजस्थान में जेण्डर संवेदी बजट	
जेण्डर संवेदी बजट एवं जेण्डर संवेदी आयोजना	
राजस्थान राज्य बालिका नीति 2013, जेण्डर संवेदी बजट की दृष्टि से विश्लेषण	
जेण्डर संवेदी बजट की वर्तमान स्थिति का अध्ययन	
अध्ययन के उद्देश्य	
अध्ययन की प्रणाली	
भाग—1:जेण्डर बजट विवरण 2012—13 तथा 2013—14 का विश्लेषण	11—17
राजस्थान में जेण्डर बजट विवरण के लिए संस्थागत ढ़ाँचा तथा प्रक्रिया	
राजस्थान में जेण्डर बजट विवरण बनाने की प्रक्रिया	
जेण्डर बजट विवरण में जेण्डर घटक दर्शाने का आधार	
राजस्थान में जेण्डर विवरण संरचना	
जेण्डर बजट विवरण 2012—13 तथा 2013—14 में शामिल विभाग	
राजस्थान में जेण्डर बजट विवरण के अनुसार कुल घटक	
जेण्डर बजट विवरण के अनुसार योजनाओं/कार्यक्रमों का वर्गीकरण	
जेण्डर बजट विवरण में दर्शाये जेण्डर घटक का विभागवार विश्लेषण	

भाग–2 : विभाग से जुटाए प्राथमिक आंकडों का विश्लेषण 18–21
नोडल अधिकारी का प्रशिक्षण
लिंग आधारित आँकड़ों की उपलब्धता
किसी योजना या कार्यक्रम में जेण्डर घटक निर्धारित करने एवं श्रेणी देने का आधार
जेण्डर बजट विवरण का प्रभाव
क्रियान्वयन, निगरानी एवं रिपोर्टिंग
विभागों के वार्षिक आयोजना में जेण्डर
उत्तरदाताओं के अनुसार जेण्डर संवेदी बजट को लागू करने की मुख्य चुनौतियाँ
विभागों द्वारा दिए गये सुझाव
निष्कर्ष 21–25
बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र के सुझाव
जेण्डर बजट विवरण के लिए एक वैकल्पिक प्रारूप
संदर्भ सूची

सारणी सूची

सारणी 1: राजस्थान तथा भारत में महिलाओं की स्थिति के कुछ सूचक 4
सारणी 2. जेण्डर बजट विवरण में कार्यक्रमों को श्रेणी देने का आधार 6
सारणी 3. जेण्डर बजट विवरण में शामिल बी.एफ.सी. तथा विभागों की संख्या 14
सारणी 4. राज्य के कुल बजट में जेण्डर घटक का प्रतिशत 14
सारणी 5. जेण्डर बजट विवरण के अनुसार योजनाओं / कार्यक्रमों का वर्गीकरण 15
सारणी 6. कुछ विभागों में जेण्डर घटक एवं प्रतिशत 16

संलग्नक सूची

26–31
संलग्नक 1 प्रश्नावली 1
संलग्नक 2 प्रश्नावली 2
संलग्नक 3 जेण्डर बजट सेल द्वारा जारी जेण्डर बजट विवरण का प्रारूप

प्रस्तावना

जेण्डर संवदी बजट एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके द्वारा सरकार के बजट एवं आयोजना प्रक्रिया को अधिक जेण्डर संवेदी बना कर समाज में महिला–पुरूष समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है। राजस्थान सरकार ने पिछले कई वर्षो से जेण्डर संवेदी बजट की प्रक्रिया आरम्भ की है तथा पिछले 2 वर्षों से राज्य में जेण्डर बजट विवरण भी जारी किया जा रहा है।

ऐसे में राज्य में जेण्डर बजट की वर्तमान स्थिति को समझने के लिये बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र द्वारा यह अध्ययन किया गया है। हमें आशा है कि यह अध्ययन राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं स्त्री–पुरूष समानता के प्रयासों में सहायक सिद्ध होगा ।

इस अध्ययन को करने में हमें कई व्यक्तियों एवं संस्थाओं से सहयोग प्राप्त हुआ है। अघ्ययन की प्रस्तावित प्रणाली पर चर्चा करने के लिये की गयी बैठ़क में कई महत्वपूर्ण सुझाव मिले थे। अघ्ययन के दौरान संपर्क किये गये सरकारी विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भी अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। इनमें से कुछ विभागों में कई बार जाना पड़ा।

अगस्त 2013 में जयपुर में आयोजित जेण्डर संवेदी बजट पर एक दिवसीय कार्यशाला में इस अध्ययन के आरंभिक परिणामों को पेश किया गया तथा वहां भी सहभागियों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

अध्ययन की मसौदा रिपोर्ट पर यु एन–वुमन की कंसलटेंट डा. स्वपना बिष्ट जोशी ने भी विस्तृत टिप्पणी एवं सुझाव दिये, जिससे इस अध्ययन की रिपोर्ट को बेहतर बनाने में सहायता मिली। इस अध्ययन के लिये वित्तीय सहयोग भारतीय राष्ट्रिय निधि एवं यु एन–वुमन से प्राप्त हुआ।

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र सभी व्यक्तियों/संस्थाओं, जिन्होंने इस अध्ययन में सहयोग किया है, का आभार व्यक्त करता है।

नेसार अहमद

समन्वयक, बार्क

जेण्डर संवेदी बजट : एक परिचय

जेण्डर संवेदी बजट एक विधि है जिसके द्वारा लोक बजट तथा नीति निर्माण की प्रक्रिया को जेण्डर रूप से संवेदी बनाया जाता है। जेण्डर संवेदी बजट, जिसे जेण्डर बजट, महिला बजट, जेण्डर संवेदनशील बजट आदि नाम से भी जाना जाता है, बजट विश्लेषण करने का एक तरीका है, जिसके द्वारा यह देखने का प्रयास किया जाता है कि बजट में सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं तथा सरकारी खर्चों का प्रभाव महिलाओं एवं पुरुषों तथा लड़कों एवं लड़कियों पर कैसे होता है। जेण्डर बजट विश्लेषण महिला तथा पुरुषों पर समान खर्च की बात नहीं करता बल्कि इसमें यह समझने का प्रयास किया जाता है कि सरकारी खर्चों तथा राजस्व उगाही का महिला और पुरूष पर क्या प्रभाव हो रहा है, इसीलिये एक जेण्डर संवेदी बजट, वह बजट है जो समाज में व्याप्त जेण्डर असमानताओं को स्वीकार करते हुए, सरकार इस प्रकार से बजट आवंटित करे कि समाज में जेण्डर असमानताओं में कमी आए। जेण्डर संवेदी बजट की प्रक्रिया में कई प्रकार के औज़ार (टूल्स) उपयोग में लिये जाते हैं।

जेण्डर बजट विवरण

जेण्डर संवेदी बजट का एक औज़ार जेण्डर बजट विवरण है, जो यह बताता है कि सरकार के कुल खर्चे का कितना हिस्सा महिला सशक्तिकरण तथा जेण्डर समानता पर खर्च हो रहा है। भारत सरकार वर्ष 2005–06 से जेण्डर बजट विवरण जारी करती आ रही है। 2 वर्षों से राजस्थान सरकार ने भी यही प्रक्रिया आरंभ की है। कई अन्य राज्यों में भी जेण्डर बजट विवरण पेश किया जाता है।

वर्तमान में सरकारें अपने प्रत्येक खर्च में महिलाओं का हिस्सा उस योजना/कार्यक्रम के लाभार्थीयों में महिलाओं/बच्चियों के प्रतिशत के आधार पर दिखाती हैं। लेकिन जेण्डर बजट विवरण की अपनी सीमाएं हैं तथा कई बार सरकारी खर्चों को जेण्डर आधार पर अलग करना काफी कठिन हो जाता है (मिश्रा एवं सिंहा, 2012)। इसलिए कई मामलों में, उदाहरण के लिये राजस्थान में भी कई बार महिलाओं का हिस्सा कुल आबादी में महिलाओं के प्रतिशत के आधार पर दिखाया जाता है।

जाहिर है ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम का लाभ महिलाओं एवं पुरूषों को समान रूप से नहीं मिलता है। इस समस्या के समाधान के लिये विशषज्ञों ने जेण्डर बजट विवरण (या जेण्डर बजट स्टेटमेन्ट) को बनाने अर्थात सरकार के कुल खर्च में महिलाओं एवं बच्चियों पर हो रहे खर्च को दर्शाने के लिये भी वैकल्पिक तरीके सुझाए गये हैं। इनमें से दो यहां दिये जा रहे हैं।

रोण्डा शार्प द्वारा सुझाई 3 श्रेणीयां

1 जेण्डर लक्ष्यित खर्च

2 सरकारी कर्मचारीयों के लिये समान अवसर खर्च

3 मुख्यधारा खर्च (शेष खर्च)

निर्मला बैनर्जी द्वारा सुझाई 3 श्रेणीयां

1 सहायता नीति जिनके कोई दूरगामी या संरचनात्मक प्रभाव नहीं हों (जैसे विधवा पेंशन)

2 जेण्डर भेदभाव को सशक्त करने वाले कार्यक्रम, जो महिलाओं की आवश्यकता की पूर्ति, दिये गये जेण्डर भूमिकाओं के अधीन ही करते हैं। (जैसेः महिलाओं के प्रजनन संबंधित भूमिका पर केन्द्रित कार्यक्रम)

3 सशक्तिकरण करने वाली योजनाएं, जो जेण्डर आधारित भेदभाव को हटाने पर ध्यान देती हैं। (जैसे कार्यस्थल पर बच्चों के लिये पालना घर, जिससे महिलाओं की कार्य में भागीदारी बढ़े तथा स्कूलों में बच्चियों के लिये अलग शौचालय)

उपरोक्त दोनों ही विधियों में मुख्य बात यह है कि जेण्डर बजट बनाने में केवल महिला लाभार्थीयों के प्रतिशत को ही ध्यान में नहीं रखकर, अपितु किसी योजना/कार्यक्रम के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखा गया है। हमारी सरकारें अब तक ऐसा नहीं कर रही हैं।

जेण्डर संवेदी बजट की 5–चरण प्रक्रिया

जेण्डर संवेदी बजट बनाने की यदि कोशिश की भी जाए तो उसे प्रभावी रूप से लागू कैसे किया जाए, इसके लिए कुछ कारगर कदम उठाये जा सकते हैं। जेण्डर बजट का उद्देश्य आयोजना एवं बजट की प्रक्रिया में जेण्डर के मुद्दों को शामिल किया जाना है। इसके लिए महिलाओं एवं पुरूषों तथा बच्चों एवं बच्चियों की वर्तमान स्थिति को समझना तथा सरकार की वर्तमान नीतियों का जेण्डर की दृष्टि से विश्लेषण करना भी अत्यावश्यक है। सरकारी नीतियों का "जेण्डर संवेदी बजट" का एक अन्य औज़ार है। जेण्डर संवेदी बजट की प्रक्रिया को ठीक से लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सुझाव डेब्बी बुडलेण्डर ने 5–चरण प्रक्रिया के रूप में दिया है। इसके अनुसार जेण्डर संवेदी बजट प्रक्रिया में निम्नलिखित 5–चरण शामिल होने चाहियेः

- चरण–1 : किसी भी क्षेत्र में महिलाओं, पुरूषों, बच्चियों तथा बच्चों की स्थिति का विश्लेषण।

- चरण–2 : इस स्थिति को ठीक करने हेतु लागू किये जा रहे वर्तमान नीतियों तथा कार्यक्रमों की समीक्षा।

- चरण–3 : यह देखना कि जेण्डर संवेदी नीतियों को लागू करने के लिये आवश्यक बजट आवंटन किया जा रहा है या नहीं।

- चरण–4 : सरकारी खर्चे के प्रभावों की अल्पकालीन समीक्षा, जिससे यह पता चले कि आवंटित संसाधन कैसे खर्च हो रहे हैं तथा कार्यक्रम एवं नीतियां किस प्रकार लागू की जा रही हैं।

- चरण–5 : सरकारी खर्चो के प्रभावों की दीर्घकालिक समीक्षा।

जेण्डर संवेदी बजट की यह 5–चरण की प्रक्रिया किसी भी क्षेत्र में महिलाओं एवं पुरूषों तथा बच्चियों एवं बच्चों की स्थिति के विश्लेषण से आरंभ होती है। इसके बाद संबंधित नीतियों की समीक्षा या उनका जेण्डर विश्लेषण किया जाना चाहिये, जिससे यह पता चले कि वर्तमान नीतियाँ महिलाओं एवं बच्चियों की स्थिति में सुधार लाने तथा उस क्षेत्र में जेण्डर समानता लाने में कितनी सक्षम हैं।

स्पष्टतः यदि नीतियां पर्याप्त नहीं हैं तो उनमें सुधार करने या नई नीति बनाने की आवश्यकता है जो जेण्डर संवेदी हों। इसके बाद ही, इन नीतियों के अनुरूप महिलाओं एवं बच्चियों तथा पुरूषों एवं बच्चों की आवश्यकता के अनुसार बजट आवंटन किया जाना चाहिए, ताकि जेण्डर संवेदी नीतियों को लागू किया जा सके। आवंटित बजट के क्रियान्वयन किये जाने पर, लागू किए जा रहे कार्यक्रमों के अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक प्रभावों का अध्ययन कर यह देखा जाना चाहिये कि क्या इनसे सुधार की कोई आवश्यकता है।

राजस्थान में महिलाओं की स्थिति

राजस्थान मानव विकास एवं महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से एक पिछड़ा हुआ राज्य है। यहां महिलाओं की स्थिति अन्य राज्यों के अपेक्षा अधिक खराब है। स्त्री–पुरूष अनुपात पूरे देश के 943 की तुलना में राज्य में 928 है। 0–6 वर्ष के बच्चों में यह अनुपात 883 ही है, जबकि देश भर में 919 है।

सारणी 1: राजस्थान तथा भारत में महिलाओं की स्थिति के कुछ सूचक

क्र. सं.	संकेतक	राजस्थान	भारत
1	लिंग अनुपात (2011)	928	943
2	लिंग अनुपात (0–6) (2011)	888	919
3	स्त्री साक्षरता (2011)	52.1	64.6
4	मातृत्व मृत्यु दर (2007–08)	318	212
5	शिशुमृत्यु दर (2011)	53	46
6	महिला श्रम भागीदारी (2011)	35.1%	25.5%
7	विधान सभा में महिला सदस्य	14.5%	10.82% (लोक सभा)
8	मानव विकास सूचकांक (2006)	0.54%	0.605
9	जेण्डर विकास सूचकांक (GDI) (2006)	0526	0.590
10	जेण्डर सशक्तिकरण माप (GEM) (2006)	0.442	0.497

स्रोतः 1, 2, 3 तथा 6 – जनगणना 2011, 4 – आर्थिक सर्वेक्षण 2012–13, भारत सरकार, 5–डी.एल.एच.एस. 3 सर्वेक्षण, 7–राजस्थान विधानसभा तथा भारत के संसद के वेबसाईट, 8, 9, 10 – महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 2009

वर्ष 2011 के जनगणना के आंकडों के अनुसार राज्य में स्त्री साक्षरता की दर 52.1 प्रतिशत है, यह देश में सबसे कम है। राज्य में मातृत्व मृत्यु दर, जो महिलाओं की प्रसव के दौरान हो जाने वाली मृत्यु की गणना बताता है, 318 प्रति एक लाख प्रसव है, जो देश भर में औसतन 212 है। जबकि लड़कियों में शिशु मृत्युदर जो जन्म के पहले वर्ष में बच्चों की मृत्यु की संख्या बताता है, 53 प्रति हजार जीवित जन्म है जबकि देश भर में औसतन 46 है।

रोजगार में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत राज्य में 35.1 प्रतिशत है, जो देश के औसत से अधिक है। देश भर में यह केवल 25.5 प्रतिशत है। यदि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी के आंकडे देखें तो राज्य की वर्तमान विधान सभा में महिला सदस्यों का प्रतिशत 14. 5 प्रतिशत है। फिलहाल राज्य में चल रहे विधान सभा के चुनावों में दो प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा 12 प्रतिशत से अधिक महिलाओं को टिकट नहीं दिये गये हैं। राज्य में पंचायत तथा शहरी निकायों में अवश्य ही महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है।

यदि महिलाओं की स्थिति को मानव विकास सूचकांक, जेण्डर विकास सूचकांक तथा जेण्डर सशक्तिकरण सूचकांक, जो संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम द्वारा मानव विकास तथा स्त्री सशक्तिकरण को नापने के लिये बनाए गये हैं, के आधार पर समझने की कोशिश करें तो पाते हैं कि राज्य में मानव विकास सूचकांक 0.541 है, जो पूरे देश के लिये 0.605 है।

राज्य का जेण्डर विकास सूचकांक (GED), जो महिलाओं के लंबे स्वस्थ्य जीवन, शिक्षा तथा जीवन स्तर का संयुक्त सूचक है, 0.526 है, जबकि यह पूरे देश के लिये 0.590 है।

उसी प्रकार राज्य का जेण्डर सशक्तिकरण माप (GEM), जो सामाजिक एवं आर्थिक मामलों में भागीदारी की क्षमता तथा आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण पर आधारित होता है, पूरे देश के लिये 0.497 है, जबकि राजस्थान के लिये 0.442 है।

इस प्रकार हम ये देखते हैं कि सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक रूप से राज्य में महिलाएं काफी पीछे हैं तथा राज्य में महिलाओं की भागीदारी एवं सशक्तिकरण के लिये काफी कुछ किये जाने की आवश्यकता है।

राज्य में इस दिशा में काफी प्रयास किये भी जा रहे हैं। राजस्थान महिला आन्दोलनों एवं महिला अधिकारों के लिये प्रयासों की दिशा में अग्रणी राज्य रहा है। राजस्थान सरकार ने भी राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिये राज्य महिला नीति तथा इसी वर्ष राज्य बालिका नीति 2013 बनायी है। राज्य सरकार के आयोजना एवं बजट की प्रक्रिया में जेण्डर को शामिल करने के लिये राज्य में जेण्डर बजट की प्रकिया को अपनाया गया है तथा पिछले दो वर्षों से राज्य में जेण्डर बजट विवरण भी जारी किया जा रहा है।

राजस्थान में जेण्डर संवेदी बजट

राजस्थान सरकार ने 2006–07 में पहली बार स्वास्थय, शिक्षा, कृषि, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा पंजीयन एवं मुद्रांक विभागों का जेण्डर बजट विश्लेषण किया। 2007–08 में भी 8 विभागों का जेण्डर बजट विश्लेषण किया गया। इसका उद्देश्य इन विभागों में आयोजना तथा बजट में जेण्डर के मुद्दे को शामिल करना तथा जेण्डर संवेदी निगरानी एवं मूल्यांकन प्रक्रिया स्थापित करना था। ये अध्ययन आयोजना विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

वर्ष 2008 में सरकार बदल गई तथा नयी सरकार चुनी गई, इस सरकार ने भी अपने पहले बजट में राज्य में जेण्डर संवेदीशील बजट प्रक्रिया को जारी रखने की बात की। वर्ष 2009 में महिला एवं बाल विकास विभाग में जेण्डर बजट सेल की स्थापना की गयी, जिसका कार्य राज्य में जेण्डर बजट की प्रक्रिया को आगे बढाना था और 2010 में मुख्य सचिव के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति बनाई गयी ।

राज्य में जेण्डर बजट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिये जेण्डर बजट सेल ने सभी विभागों द्वारा जेण्डर बजट विवरण बनाने के लिये एक प्रारूप तैयार किया, जो भारत सरकार के बजट विवरण 20 पर आधारित है। परन्तु इसमें कार्यक्रमों/योजनाओं की दो नहीं, चार श्रेणीयां रखी गई। जेण्डर बजट सेल ने एक अवधारणा पत्र तथा जेण्डर बजट विवरण तैयार करने के लिये एक क्रमवार निर्देशिका भी बनायी। जेण्डर बजट सेल द्वारा जेण्डर बजट विवरण के प्रारूप को बेहतर बनाने के लिये विमर्श बैठक का आयोजन भी किया गया था।

अगस्त 2011 में जारी की गयी बजट सर्कुलर में पहली बार जेण्डर बजट को लागू करने की बात की गयी। अगले वर्ष राजस्थान बजट 2012–13 में जेण्डर बजट विवरण जारी किया गया, जिसमें सरकारी कार्यक्रमों को निम्नानुसार श्रेणी प्रदान की गई।

सारणी 2: जेण्डर बजट विवरण में कार्यक्रमों को श्रेणी देने का आधार

श्रेणी	महिला लाभार्थीयों का प्रतिशत
A	<70%
B	70-30%
C	30-10%
D	<10%

लेकिन राज्य के जेण्डर बजट विवरण में श्रेणी कार्यक्रमों/योजनाओं को नहीं दे कर कार्यक्रमों/योजनाओं के गैर योजना, योजना तथा केन्द्र प्रवर्तित योजना को अलग अलग दी गयी।

जेण्डर संवेदी बजट एवं जेण्डर संवेदी आयोजना

राज्य में वर्तमान में जेण्डर संवेदी बजट की प्रक्रिया केवल जेण्डर बजट विवरण जारी करने तक सीमित है। लेकिन जैसा कि ऊपर कहा गया है, जेण्डर संवेदी बजट, बजट प्रकिया को समाज में लिंग आधारित असमानताओं के प्रति संवेदनशील बनाने तथा उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से बजट आवंटन में वांक्षित परिर्वतन करने का काम करती है। यह तभी सम्भव है जब कि सरकार की आयोजना प्रक्रिया भी जेण्डर संवेदी बने। लेकिन राज्य में इस दिशा में कोई खास प्रगति नहीं दिखाई पडती है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, सरकारी विभागों से इस विषय पर पूछे गये प्रश्नों से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिले हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के जेण्डर बजट सेल ने दो जिलों में अवश्य जेण्डर आयोजना बनाने की प्रक्रिया प्रयोग के तौर पर आरंभ की थी । लेकिन इस प्रक्रिया के क्या परिणाम हुए यह स्पष्ट नहीं हैं।

लेकिन इसी वर्ष राज्य सरकार ने एक राज्य बालिका नीति 2013 की घोषणा की है। राज्य में बालिका नीति को यदि ठीक से लागू किया जाता है तो यह राज्य सरकार की आयोजना एवं बजट प्रक्रिया को जेण्डर संवेदी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। नीचे राज्य बालिका नीति 2013 का जेण्डर संवेदी बजट की दृष्टि से विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

जेण्डर संवेदी बजट की दिशा में एक सकारात्मक पहल– राजस्थान राज्य बालिका नीति 2013

राजस्थान राज्य बालिका नीति 2013: जेण्डर संवेदी बजट की दृष्टि से विश्लेषण

राजस्थान सरकार ने इस वर्ष एक राज्य बालिका नीति बनाई है जो शायद देश में किसी राज्य द्वारा बनाई गई पहली बालिका नीति है। इस नीति का मसौदा महिला एवं बाल विकास में स्थित जेण्डर बजट सेल द्वारा बनाया गया था। यह सेल राज्य में जेण्डर संवेदी बजट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिये भी ज़िम्मेदार है।

नीति का मसौदा महिला एवं बाल विकास विभाग के वेबसाईट पर रखा गया तथा इस पर लोगों की राय एवं प्रतिक्रिया मांगी गई। अब इस नीति को अन्तिम रूप देकर विभाग के साईट पर प्रकाशित किया जा चुका है।

यहां हमने इस नीति का जेण्डर संवेदी बजट की दृष्टि से विश्लेषण करने का प्रयास किया है।

यदि हम राज्य बालिका नीति 2013 को जेण्डर संवेदी बजट के 5–चरण प्रक्रिया के संदर्भ में देखते हैं, तो यह पाते हैं कि यह नीति सबसे पहले राज्य में बच्चियों (0–18 वर्ष) की प्रमुख समस्याओं की पहचान करती है (भाग–1)। इनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण समस्या है राज्य में गिरता जेण्डर अनुपात, जिसका कारण है बच्चियों में बच्चों के मुकाबले ऊंची शिशु मृत्यु दर के साथ–साथ लिंग चयनित गर्भपात, जो गैरकानूनी होने के बावजूद राज्य में (तथा देश भर में) काफी प्रचलित है। बच्चियों तथा बच्चों का यह अत्यंत कम अनुपात (0–6 वर्ष के आयु समूह में, 1000 बच्चों पर 883 बच्चियाँ ही सरकार को बालिकाओं के लिये विशेष नीति बनाने का कारण तथा आधार प्रदान करता है (भाग–2)। राज्य में बच्चों के लिये नीति पहले से उपलब्ध है।

इसके बाद यह नीति बच्चियों की स्थिति का विश्लेषण करती है (भाग–3)। जैसा कि हमने ऊपर देखा, जेण्डर संवेदी बजट के 5–चरण की प्रक्रिया का पहला चरण भी स्थिति का विश्लेषण करना होता है। यह नीति राज्य में गिरते लिंगानुपात, बच्चों तथा बच्चियों के स्वास्थ्य तथा शैक्षिक सूचकों में अंतर, परिवार के अंदर भोजन वितरण में भेद–भाव, बच्चियों एवं महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, किशोरियों पर यौन हिंसा आदि का विश्लेषण करती है। इसके बाद यह नीति विभिन्न आयु समूह की बच्चियों के लिये प्राथमिकता के मुद्दों की पहचान कराती है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों पर अलग से चर्चा की गई है। ये मुद्दे हैं:

1. गिरता लिंगानुपात
2. स्वास्थ्य एवं शिक्षा सेवाएं तथा पारिवारिक संबल।
3. हिंसा तथा उपेक्षा से सुरक्षा।
4. बालिकाओं का सशक्तिकरण।

इस नीति में उपरोक्त सभी मुद्दों के लिये राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही सुझाई गयी हैं। इसके बाद क्रियान्वयन रणनीति (भाग–5) तथा समन्वय एवं कार्यवाही योजना (भाग–7) बनाई गई है। अन्तिम भाग (भाग–8) में नीति के क्रियान्वयन की निगरानी एवं मूल्यांकन पर चर्चा की गई है। इस नीति में कहा गया है कि कार्यवाही योजना आने वाले वर्षों में स्वतः विकसित होगी। मुख्यमंत्री द्वारा वार्षिक बैठक में सभी विभाग इस नीति को लागू करने के लिये कार्यवाही योजना पेश करेंगे। लेकिन इस नीति में 5 विभागों के लिये कार्यवाही योजना भी प्रस्तावित की गई है। इस कार्यवाही योजना में विभिन्न आयु समूह की बच्चियों के

लिये पहचाने गए मुद्दों के लिए वर्तमान नीतियों व कार्यक्रमों का विश्लेषण कर उनकी कमियों की पहचान की गई है साथ ही प्रस्तावित कार्यक्रमों के सुझाव भी दिये गये हैं तथा उनके क्रियान्वयन के लिये निगरानी के सूचकों की पहचान कर अल्पकाल एवं दीर्घकाल के लिये लक्ष्य भी निर्धारित किये गये हैं।

यदि इसकी तुलना जेण्डर संवेदी बजट के 5–चरण प्रक्रिया से की जाये, तो हम देखते हैं कि बालिका नीति में इस प्रक्रिया के अनुसार स्थिति के विश्लेषण के बाद प्राथमिक मुद्दों की पहचान की है, फिर 5 विभागों के वर्तमान कार्यक्रमों की समीक्षा की गई है। 5 विभागों के लिये कार्यवाही योजना भी प्रस्तावित की गई है लेकिन इस नीति में राज्य के बजट आवंटन में किस प्रकार के बदलावों की जरूरत है, इस पर कोई चर्चा नहीं की गई है। इस नीति के भाग–6 में सभी विभागों द्वारा इस नीति के क्रियान्वयन के लिये संसाधन जुटाने की बात कही गई है।

इस प्रकार इस नीति में 0 से 18 वर्ष की बच्चियों के लिये जेण्डर संवेदी बजट के पहले दो चरणों को पूरा किया गया है। राज्य सरकार के सभी विभागों के बजट आंवटन के लिये यह नीति एक दिशा–निर्देश का कार्य कर सकती है।

लेकिन यह नीति मुख्यतः स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सुरक्षा के मुद्दों पर जोर देती है। हलांकि इसमें सशक्तिकरण की भी बात की गई है लेकिन उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तथा आर्थिक सशक्तिकरण के अन्य मुद्दों की सतही चर्चा की गई है। लेकिन यह नीति सभी विभागों के लिये हर विभाग से संबंधित क्षेत्र में महिलओं एवं बच्चियों की स्थिति का विश्लेषण करने एवं उसके अनुसार बजट आवंटन करने के लिये एक मॉडल के रूप में उपयोग की जा सकती है।

इस नीति में इसके क्रियान्वयन के लिये निगरानी एवं मूल्यांकन की रूप रेखा भी दी गई है। इसकी निगरानी की ज़िम्मेदारी के लिये बनाये जाने वाले एक कार्य बल, जिसका नेतृत्व राज्य के मुख्य सचिव करेंगे, को दी गई है। यह कार्य बल हर तीन महीने में इस नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे। जबकि इसकी मासिक समीक्षा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा की जायेगी। इस नीति में समुदाय आधारित क्रियान्वयन, आयोजना तथा निगरानी की बात भी की गई है। इसके साथ ही इसमें शोध अध्ययन के लिये आवश्यक आंकड़े जुटाने की रूपरेखा बनाने की बात भी कही गई है। इस प्रकार इस नीति में जेण्डर संवेदी बजट के 5–चरण प्रक्रिया के अन्तिम दो चरण, जिसमें अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक प्रभावों की समीक्षा की जाती है, को भी शामिल किया गया है।

इस प्रकार इस नीति में जेण्डर संवेदी बजट के 5–चरण प्रक्रिया के 5 में से 4 चरणों को शामिल किया गया है। तथा यह किसी भी विभाग द्वारा उस विभाग में जेण्डर संवेदी बजट

लागू करने के लिये एक मॉडल के रूप में उपयोग की जा सकती है। लेकिन इसके लिए विभागों को अपने संबंधित कार्यक्षेत्र में बच्चियों तथा महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण कर आगे के चरणों को पूरा करना होगा।

राज्य में जेण्डर संवेदी बजट की वर्तमान स्थिति का अध्ययन

इस परिपेक्ष्य में राजस्थान में पिछले वर्षों में जेण्डर संवेदी बजट की दिशा में किये गये प्रयासों तथा दो वर्षों से प्रकाशित जेण्डर बजट विवरण के वर्तमान स्वरूप को समझने के लिए बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र द्वारा यह अध्ययन किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

- जेण्डर संवेदी बजट की दृष्टि से विभागों की बजट बनाने की प्रक्रिया का विश्लेषण करना।
- विभागों द्वारा जेण्डर बजट विवरण बनाने में अपनाई गई विधि का अध्ययन करना।
- अध्ययन के परिणामों का जेण्डर बजट विवरण को बेहतर बनाने हेतु पैरवी के लिये उपयोग करना।

अध्ययन की प्रणाली

यह अध्ययन दो भागों में किया गया है।

पहले भाग में सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों (2012–13 तथा 2013–14) को पेश किये गये जेण्डर बजट विवरण का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। हमने जेण्डर बजट विवरण में उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण किया है। इसमें समझने का प्रयास किया गया है कि जेण्डर बजट विवरण में कुल कितने विभाग तथा बजट अंतिम चरण शामिल हो रहे हैं। कुल बजट के कितने हिस्से को लैकिंग बजट घटक बताया गया है, तथा किन योजनाओं को क्या श्रेणी मिली है।

अध्ययन के दूसरे भाग में, सरकारी विभागों से जुटाए गये आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। विभागों से आंकड़े जुटाने के लिये एक प्रश्नावली (संलग्न) का उपयोग किया गया है। इस प्रश्नावली में विभागों के जेण्डर बजट के लिये निर्धारित व्यक्ति, लाभार्थियों की लिंग आधारित आंकड़ों की उपलब्धता, तथा जेण्डर बजट विवरण के क्रियान्वयन की निगरानी आदि से संबंधित प्रश्न पूछे गये थे।

भाग 1

जेण्डर बजट विवरण 2012–13 तथा 2013–14 का विश्लेषण

राजस्थान सरकार ने वर्ष 2012–13 से जेण्डर बजट विवरण जारी करना शुरू किया है। पिछले दो वर्षों में जारी किया गया जेण्डर बजट विवरण महिला लाभार्थियों पर हो रहे खर्च के अनुपात पर आधारित है। सरकारी विभागों ने अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों को महिला लाभार्थियों पर हो रहे खर्च के अनुपात के आधार पर श्रेणीबद्ध किया है। योजनाओं /कार्यक्रमों की श्रेणी उनमें महिला लाभार्थीयों के लिये किये गये खर्च के आधार पर, जेण्डर बजट सेल द्वारा बनायी गई मार्गदर्शिका के आधार पर दिया गया है।

राजस्थान में जेण्डर बजट विवरण के लिये संस्थानिक ढांचा तथा प्रक्रिया

महिला एवं बाल विकास विभाग में स्थित जेण्डर बजट सेल राजस्थान में जेण्डर बजट के लिये ज़िम्मेदार है। जेण्डर बजट सेल ने जेण्डर बजट विवरण पेश करने का प्रारूप तैयार किया है, जिसके अनुसार सभी विभागों को अपना जेण्डर बजट विवरण, अपने बजट प्रस्तावों के साथ वित्त विभाग को भेजना होता है।

इसके अलावा राज्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जेण्डर संवेदी बजट पर उच्च स्तरीय समिति का गठ़न किया गया है, जो यह सुनिश्चित करता है कि इस प्रक्रिया में अधिकतम विभाग शामिल हों।

प्रत्येक विभाग में एक जेण्डर डेस्क तथा एक केन्द्रीय व्यक्ति का प्रावधान है जो जेण्डर संवेदी बजट के लिये ज़िम्मेदार होंगे। योजना विभाग के 18 अप्रेल 2013 के एक परिपत्र के अनुसार हाल ही में यह फैसला किया गया है कि 6 विभागों– शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, श्रम विभाग में जेण्डर डेस्क की जगह जेण्डर बजट सेल गठित किया जाये।

इसके अलावा राज्य में आयोजना समिति ने जेण्डर संवेदी बजट पर एक कार्यकारी समूह का गठ़न भी किया है। यह कार्यकारी समूह राज्य सरकार को जेण्डर बजट विवरण तथा जेण्डर संवेदी बजट की प्रक्रिया को सुधारने तथा मजबूत बनाने के लिये अपने सुझाव देगा। इस कार्यकारी समूह ने विभिन्न व्यक्तियों व संस्थाओं के साथ कई बैठकें की हैं तथा यह अब अपनी रिर्पोट सरकार को पेश करने वाला है।

राजस्थान में जेण्डर बजट विवरण बनाने की प्रक्रिया

सभी विभागों से यह अपेक्षित है कि वे जेण्डर बजट सेल द्वारा बनाये गये प्रारूप (संलग्न) के अनुसार जेण्डर बजट विवरण दें। प्रारूप में सभी विभागों को अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों की

सूची देनी होती है तथा यह दर्शाना होता है कि प्रत्येक योजना या कार्यक्रम का कितना हिस्सा महिलाओं तथा बालिकाओं पर खर्च हो रहा है तथा योजनाओं/कार्यक्रमों को एक श्रेणी भी देनी होती है। सभी विभागों द्वारा तैयार जेण्डर बजट विवरण वित्त विभाग को भेज दिया जाता है, जहां इनको जेण्डर बजट सेल महिला एवं बाल विकास विभाग की सहायता से समेकित किया जाता है। जेण्डर बजट विवरण विधान सभा में बजट पुस्तिका 4 अ में प्रस्तुत किया जाता है।

जेण्डर बजट विवरण में जेण्डर घटक दर्शाने का आधार

पिछले वर्ष राज्य के मुख्य सचिव ने सभी विभागों को एक परिपत्र जेण्डर बजट स्टेटमेन्ट हेतु दिशा निर्देश जारी किया, जिसमें सभी विभागों को यह निर्देश दिया गया था कि वे जेण्डर बजट सेल द्वारा तैयार किये गये प्रारूप को भरें तथा उसे वित्त विभाग को भेजें। यह परिपत्र वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये बजट परिपत्र, जिसमें जेण्डर बजट विवरण बनाने का निर्देश भी शामिल होता है, के अलावा जारी किया गया। 8 नवंबर 2012 को जारी इस परिपत्र में जेण्डर बजट सेल द्वारा बनाए गये प्रारूप के अनुसार ही कुल बजट में से जेण्डर घटक दर्शाने का आधार बताता है। इसके अनुसार–

- वे विभाग जिनका कार्यक्षेत्र मुख्यतः महिलाओं तथा बालिकाओं पर केन्द्रित है, वे अपना पूरा खर्च, संस्थापन खर्च सहित, जेण्डर घटक के रूप में दर्शाएं।
- अन्य विभाग अपनी योजनाओं के लाभार्थियों में महिलाओं तथा बालिकाओं के अनुपात को जेण्डर घटक दर्शाने का आधार बनाएं।
- ऐसे विभाग जिनका कार्यक्षेत्र जेण्डर रूप से तटस्थ या जेण्डर न्यूट्रल है या जिनका कार्य बुनयादी ढ़ाचा जैसे नहर, सड़क, पानी, बिजली आदि है, उन्हें कुल आबादी में महिलाओं के अनुपात के आधार पर जेण्डर घटक दर्शाना चाहिए।

इस परिपत्र में विभागों को जेण्डर बजट विवरण बनाने के आधार का स्पष्ट विवरण देने को भी कहा गया है। परिपत्र राजस्व अर्जित करने वाले विभागों को यह निर्देश देता है कि वे अपनी नीतियां बनाते समय जेण्डर विश्लेषण (जेण्डर एनालसिस) करें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनके राजस्व या कर नीति का महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर कोई उल्टा प्रभाव ना हो।

स्पष्टतः जेण्डर बजट विवरण बनाते समय केवल लाभार्थीयों में या कुल आबादी में महिलाओं के अनुपात को ही आधार बनाया गया है। सरकारी खर्च के उद्देश्य को जेण्डर घटक का आधार बनाने पर विचार नहीं किया गया है।

राजस्थान में जेण्डर विवरण संरचना

वर्तमान में प्रस्तुत किया जा रहा जेण्डर बजट विवरण पूर्णतः अव्यवस्थित है, इसमें सूचना विभागवार दी गयी है। मुख्य शीर्षवार नहीं देकर बजट अंतिमीकरण समिति (बजट फाइनलाइज़ेशन कमेटी) इकाईवार दी गई है। हर विभाग में बजट अंतिमीकरण समीतियों या बी.एफ.सी का गठन विभाग के बजट प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने के लिये किया जाता है। प्रत्येक विभाग में एक से अधिक ऐसी समीतियां होती हैं। हालांकि राज्य में कुल 23 प्रतिशत बी.एफ.सी हैं। राज्य बजट मैन्युअल खण्ड– II में विभागवार सभी बी.एफ.सी की सूची दी गई है फिर भी बजट विवरण आम आदमी के समझ से परे है। वर्तमान जेण्डर बजट विवरण को बनाते समय एक विभाग के सभी बी.एफ.सी. से जुड़े विवरण को एक साथ नहीं दिया गया है तथा एक ही विभाग के बी.एफ.सी के विवरण अलग–अलग दर्शाए गये हैं।

जेण्डर बजट विवरण में सरकारी कार्यक्रमों को, जेण्डर बजट सेल के दिशा निर्देशों के अनुसार, महिलाओं एवं बच्चियों पर होने वाले खर्च के अनुपात के आधार पर श्रेणी दी गई है। लेकिन मुख्य सचिव के परिपत्र में दिये गये स्पष्ट निर्देश के बावजूद, जेण्डर बजट विवरण में दर्शाये गये जेण्डर घटक या महिलाओं पर हो रहे खर्च का अनुमान किस आधार पर किया गया है, यह कहीं नहीं बताया गया है।

कार्यक्रमों/योजनाओं के श्रेणी (A, B, C, D) पूरे कार्यक्रम या योजना को नहीं देकर गैर योजना, योजना तथा केन्द्र प्रायोजित योजना खर्च को अलग–अलग दी गई है तथा इनमें जेण्डर घटक को भी इसी प्रकार दर्शाया गया है।

जेण्डर बजट विवरण के अन्त में जेण्डर घटक का कुल जोड़ अर्थात राज्य बजट में से महिलाओं एवं बच्चियों पर हो रहे कुल खर्च को भी दर्शाया गया है। यह भी गैर–योजना, योजना तथा केन्द्र प्रायोजित योजना खर्च के लिये अलग–अलग दिखाया गया है। इसके अलावा 2012–13 के लिये कोई संशोधित अनुमान वास्तविक खर्च का विवरण भी नहीं देता है।

जेण्डर बजट विवरण 2012–13 तथा 2013–14 में शामिल विभाग

राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा बजट मुख्य शीर्षवार पेश किया जाता है ना कि विभागवार। लेकिन जेण्डर बजट विवरण बी.एफ.सी वार पेश किया जाता है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, राज्य में कुल 234 बी.एफ.सी हैं। जेण्डर बजट विवरण में वर्ष 2012–13 में 95 बी.एफ.सी तथा वर्ष 2013–14 में 113 बी.एफ.सी शामिल थे।

लेकिन जेण्डर बजट विवरण में शामिल विभागों को लेकर स्पष्टता नहीं है। यदि जेण्डर बजट

विवरण में शामिल एक विभाग के सभी बी.एफ.सी. से संबंधित जानकारी एक साथ दी गई होती तो यह एक विभागवार विवरण होता तथा सरकारी विभागों एवं आम लोगों के लिये भी यह पता करना आसान होता कि किसी भी एक विभाग के बजट का कितना हिस्सा जेण्डर बजट घटक है, अथवा महिलाओं एवं बच्चियों पर खर्च होता है। इस अध्ययन के लिये हमने जेण्डर बजट विवरण 2012–13 तथा 2013–14 में शामिल विभागों का अनुमान, इसमें शामिल सभी बी.एफ.सी के आधार पर लगाने की कोशिश की है। निम्न सारणी में जेण्डर बजट विवरण में शामिल सभी बी.एफ.सी तथा विभागों की अनुमानित संख्या को दर्शाया गया है:

सारणी 3: जेण्डर बजट विवरण में शामिल बी.एफ.सी. तथा विभागों की संख्या

वर्ष	बी.एफ.सी की संख्या	विभागों की संख्या
2012–13	95	27
2013–14	113	34

स्रोतः जेण्डर बजट विवरण 2012–13 तथा 2013–14

नोट : विभागों की संख्या बार्क के अनुमान पर आधारित है।

उपरोक्त सारणी में यह देखा जा सकता है कि जेण्डर बजट विवरण में शामिल बी.एफ.सी तथा विभागों की संख्या पिछले वर्ष की अपेक्षा बढ़ी हैं अर्थात इस वर्ष पिछले वर्ष के मुकाबले अधिक बी.एफ.सी तथा विभागों ने जेण्डर बजट विवरण तैयार किया है।

राज्य में जेण्डर बजट विवरण के अनुसार कुल घटक बजट

जैसा कि ऊपर बताया गया है, राज्य सरकार द्वारा जारी बजट विवरण में जेण्डर घटक, अर्थात महिलाओं एवं बच्चियों पर होने वाले कुल खर्च, का आंकड़ा भी दिया गया है। निम्न सारणी में जेण्डर बजट विवरण के अनुसार राज्य के कुल बजट में से जेण्डर घटक का प्रतिशत दर्शाया गया है।

सारणी 4: राज्य के कुल बजट में जेण्डर घटक का प्रतिशत

वर्ष	गैर योजना खर्च	योजना खर्च	केन्द्र प्रायोजित योजना खर्च
2012–13	19.14	32.97	50.82
2013–14	19.94	35.24	54.33

स्रोतः जेण्डर बजट विवरण 2012–13 तथा 2013–14

कुल बजट में से जेण्डर बजट के आवंटन के मामले में जेण्डर बजट विवरण बताता है कि कुल गैर योजनागत खर्च का 19 प्रतिशत योजनागत खर्च का 33 प्रतिशत तथा केन्द्र प्रायोजित योजना का 51 प्रतिशत 2012–13 में जेण्डर घटक था अर्थात महिलाओं को लाभ पहुंचाने में खर्च हो रहा था। वहीं वर्ष 2013–14 में योजनागत खर्च तथा केन्द्र प्रायोजित योजना के जेण्डर घटक में वृद्वि हुई है जबकि गैर योजनागत खर्च में यह लगभग पिछले वर्ष के समान ही है।

जेण्डर बजट विवरण के अनुसार योजनाओं/कार्यक्रमों का वर्गीकरण

निम्न सारणी में जेण्डर बजट विवरण 2012–13 में उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर सभी कार्यक्रमों /योजनाओं के गैर आयोजना, आयोजना तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को दी गई श्रेणीयों के अनुसार दिखाया गया है।

सारणी 5: जेण्डर बजट विवरण के अनुसार योजनाओं/कार्यक्रमों का वर्गीकरण

	योजनाओं/कार्यक्रमों का वर्गीकरण									
	A		B		C		D		कुल	
	2012–13	2013–14	2012–13	2013–14	2012–13	2013–14	2012–13	2013–14	2012–13	2013–14
गैर योजना	28	29	145	211	17	105	38	27	228	372
प्रतिशत	12.28	7.79	63.60	56.72	7.45	28.22	16.66	7.25	100	100
योजना	61	79	318	405	136	134	82	58	597	676
प्रतिशत	10.21	11.68	53.26	59.21	22.78	19.82	13.73	8.57	100	100
केंद्र प्रवर्तित योजना	11	11	39	78	22	19	11	31	83	139
प्रतिशत	13.25	7.91	46.98	56.11	26.50	13.66	13.25	22.3	100	100
कुल	100	113	502	694	175	258	131	116	908	1187
प्रतिशत	11.01	9.51	55.28	58.46	19.27	21.73	14.42	9.77	100	100

स्रोतः बार्क द्वारा जेण्डर बजट 2012–13एवं 2013–14 के विश्लेषण पर आधारित

जैसा कि उपरोक्त सारणी में देखा जा सकता है राज्य सरकार के जेण्डर बजट विवरण के अनुसार, लगभग एक–तिहाई कार्यक्रमों/योजनाओं में 30 प्रतिशत से कम महिला लाभान्वित

हैं, जो वर्ष 2013–14 में थोड़ा और कम हुआ है। वर्ष 2012–13 में केवल 11 प्रतिशत तथा वर्ष 2013–14 में केवल 10 प्रतिशत योजनाओं/कार्यक्रमों में 70 प्रतिशत से अधिक महिला लाभन्वित हैं। शेष कार्यक्रमों में 30–70 प्रतिशत महिला लाभान्वित हैं।

जेण्डर बजट विवरण में दर्शाये जेण्डर घटक का विभागवार विश्लेषण

जैसा कि पहले कहा गया है, जेण्डर बजट विवरण में शामिल विभागों की संख्या 27 से बढ़कर 34 हो गई है। हालांकि जेण्डर बजट विवरण में विभागवार सूचना उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमने अनुमान के आधार पर एक विभाग के सभी बी.एफ.सी के जेण्डर घटक को जोड़कर विभागों के जेण्डर घटक निकालने का प्रयास किया है।

पिछले वर्ष (2012–13) की तुलना में इस वर्ष (2013–14) महिला एवं बाल विकास (आई.सी.डी.एस.) आयुर्वेद, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, पंचायती राज तथा लोक निर्माण विभागों का जेण्डर घटक कम हुआ है। वहीं, श्रम स्थानीय स्वशासन, खेल, उद्योग, शिक्षा तथा अल्पसंख्यक मामलात विभागों के योजनागत् खर्च में जेण्डर घटक बढ़ा है।

बजट में दिये गये जेण्डर बजट विवरण में दी गई सूचनाओं के अलावा हमने विभागों से उनके पिछले दो वर्षों के जेण्डर बजट विवरण तथा पिछले वर्ष (2012–13) में हुये वास्तविक खर्च के ब्योरे मांगें/कुल 6 विभागों ने वास्तविक खर्च के आंकड़े बताए हैं, निम्न सारणी में इन 6 विभागों से प्राप्त आंकड़ों को दर्शाया गया है।

सारणी 6: कुछ विभागों में जेण्डर घटक एवं प्रतिशत

विभाग		2012–13 (बजट)				2012–13 (वास्तविक)	2013–14 (बजट)			
		गैरयोजना	आयोजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना	कुल	कुल	गैरयोजना	आयोजना	केन्द्र प्रवर्तित योजना	कुल
ग्रामीण विकास	कुल बजट		12100.00		12100.00	12100.00		12800.00		12800.00
	जेण्डर घटक		10291.15		102.91.15	10078.91		12800.00		12800.00
	प्रतिशत		100		100	82.29		100		100
मत्स्य पालन	कुल बजट	3.00	0.04	0.06	3.10	7.00	300	10.49		13.49
	जेण्डर घटक		0.08	0.30	0.38	0.2875		0.84		0.84
	प्रतिशत		2	5	12.25	0.04		8.01		8.01
पंचायती राज	कुल बजट		198223.68	59999.99	292186.89	150980.68		568991.57		568991.57
	जेण्डर घटक		93963.21	28802.76	122765.97	65168.95		113269.38		113269.38
	प्रतिशत		47.40	48	42	43.15		19.90704		19
श्रम	कुल बजट	5500.00	896.38		6396.38	586.63		10857.93		10857.93
	जेण्डर घटक	375.00	333.87		708.87	130.80		7765.14		7765.14
	प्रतिशत	6.81	37.24		11	22.26		71.51		71.51

बगवानी	कुल बजट		252.00		252.00	1050.00		1050.00		1050.00
	जेण्डर घटक		0.12		0.12	12.881		0.15		0.15
	प्रतिशत		0.05		0.05	0.01		0.01		0.01
खाद्य एवं आपूर्ति	कुल बजट	27098.01	13601.40		40699.41	41354.00	31851.24	13733.64		45584.88
	जेण्डर घटक	10839.20	5468.67		16307.87	19926.04	12740.50	5506.66		18247.16
	प्रतिशत	40	40		40	48.18	40	40		40

स्रोत : विभिन्न विभागो से जुटाया गया तथा जेण्डर बजट विवरण 2012–13 तथा 2013–14 से भी पुष्टि की गई।

विभागवार रुझानों के विश्लेषण से पता चलता है कि

- वास्तविक खर्च के आंकड़े केवल 6 विभागों से मिले हैं।
- ग्रामीण विकास को छोड़कर किसी भी विभाग के जेण्डर घटक के आंकड़े जेण्डर बजट विवरण में दिये आंकड़ों के समान नहीं है।
- पंचायत राज विभाग ने 16 योजनाओं को जेण्डर बजट विवरण में दर्शाया है, लेकिन 2012–13 का वास्तविक खर्च केवल 12 योजनाओं का ही उपलब्ध है।
- हालांकि जेण्डर बजट विवरण में हर योजना/कार्यक्रम के गैर योजना, योजना तथा केन्द्र प्रवर्तित योजना खर्च के अलग–अलग आंकड़े दिये गये है, विभागों से प्राप्त वास्तविक खर्च योजनाओं के कुल खर्च के लिये एक साथ दिये गये हैं।
- दो वर्षों (2012–13 तथा 2013–14) की तुलना करें तो ग्रामीण विकास, खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, विभागों का जेण्डर घटक प्रतिशत पिछले वर्ष के समान ही है।
- मछली पालन तथा श्रम विभागों का जेण्डर घटक का प्रतिशत इस एक वर्ष में बढ़ा है।
- जबकि बागवानी तथा पंचायतीराज विभागों का जेण्डर घटक इस अवधि में कम हुआ है।

राज्य सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों में जारी किये गये जेण्डर बजट विवरण के विश्लेषण से पता चलता है कि यह अत्यन्त अव्यवस्थित है तथा जेण्डर संवेदी आयोजना एवं बजट के लिये बहुत उपयोगी नहीं हैं। जेण्डर बजट विवरण में इसे दर्शाये, जेण्डर घटक या दिये गये श्रेणी के आधार का काई विवरण नहीं दिया गया है। जेण्डर बजट विवरण के विभागवार या मुख्यशीर्षवार नहीं होने के कारण भी इसकी विशेष उपयोगिता नहीं रह जाती है। जेण्डर बजट विवरण 2013–14 में पिछले वर्ष दिये गये जेण्डर बजट विवरण की वास्तविक स्थिति या संशोधित अनुमान का कोई विवरण नहीं है। अगले भाग में इस संदर्भ में सरकारी विभागों से जुटाए सूचना तथा आंकडों का विश्लेषण किया गया है।

भाग 2

विभागों से जुटाए प्राथमिक आंकड़ों का विश्लेषण

इस खण्ड में हमने सरकारी विभागों से जुटाए प्राथमिक आंकड़ों का विश्लेषण किया है, ये आंकड़े एक प्रश्नावली की सहायता से जुटाये गये। इस प्रश्नावली में विभागों में जेण्डर बजट के लिये नोडल अधिकारी, जेण्डर बजट पर प्रशिक्षण, जेण्डर घटक दर्शाने का आधार, लिंग आधारित आंकड़ों की उपलब्धता तथा जेण्डर बजट के क्रियान्वयन एवं निगरानी से सम्बन्धित प्रश्न थे। अधिकांश विभागों में इन प्रश्नों के उत्तर अनुभाग अधिकारी अथवा वरिष्ठ या कनिष्ठ लेखाकार द्वारा दिये गये हैं।

कुल मिलाकर 44 विभागों को सम्पर्क किया गया उनमें से 15 विभागों ने प्रश्नों का उत्तर देने से यह कते हुये मना कर दिया कि जेण्डर बजट उनके लिये प्रासंगिक नहीं है। यहां हम इन विभागों से मिली सूचनाओं को संक्षेप में प्रस्तुत कर रहे हैं।

नोडल अधिकारी तथा प्रशिक्षण

केवल 11 विभागों में जेण्डर बजट के लिये एक नोडल अधिकारी बनाया गया है। अधिकांशतः किसी अनुभाग अधिकारी अथवा वरिष्ठ या कनिष्ठ लेखाकार को जेण्डर बजट प्रपत्र भरने की जिम्मेदारी दी गई है। हर वर्ष यह जिम्मेदारी बदलती रहती है, अर्थात् कुछ विभागों में पिछले वर्ष किसी अन्य व्यक्ति को यह जिम्मेदारी दी गई थी, और इस वर्ष किसी अन्य को।

प्रशिक्षण : केवल 15 विभागों में उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्हें जेण्डर बजट पर कोई प्रशिक्षण दिया गया है। शेष विभागों में या तो प्रशिक्षण नहीं मिला था या इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। 44 में से 24 विभागों ने कहा कि उन्हें इस वर्ष जेण्डर बजट प्रारूप प्राप्त हुआ, तथा कुल 27 विभागों ने वर्ष 2013–14 में जेण्डर बजट विवरण वित्त विभाग को जमा करवाया है, जिसे जेण्डर बजट विवरण में शामिल किया गया।

लिंग आधारित आंकड़ों का उपलब्धता

44 में से केवल 8 विभागों ने बताया कि उनके पास लाभार्थियों के लिंग आधारित आंकड़े उपलब्ध है। हालांकि उनमें से केवल 3 विभाग मछली पालन, बागवानी तथा श्रम विभाग ही लाभार्थियों के लिंगवार आंकड़े उपलब्ध करवा सके। ग्रामीण विकास विभाग में लिंगवार आंकड़े केवल इंदिरा आवास योजना तथा मुख्यमंत्री बी.पी.एल. आवास योजना के ही उपलब्ध है।

किसी योजना या कार्यक्रम में जेण्डर घटक निर्धारित करने एवं श्रेणी देने का आधार

जेण्डर बजट विवरण में दर्शाये गये जेण्डर घटक तथा दिये गये श्रेणी का क्या आधार है? इस

प्रश्न के उत्तर में पहले 18 विभागों में से 2 ने आबादी में महिलाओं का प्रतिशत, 3 ने लाभार्थियों में महिलाओं का प्रतिशत तथा अन्य 3 विभागों ने उपरोक्त दोनों को ही जेण्डर घटक निर्धारित करने का आधार बनाया। 2 अन्य विभागों ने बताया कि वो कोई भी एक आंकड़ा ले लेते हैं। शेष 26 विभागों से यह प्रश्न गैर आयोजना, आयोजना तथा केन्द्र प्रवर्तित योजना खर्च के लिये अलग–अलग पूछा गया। इन विभागों (जिनसे उत्तर प्राप्त हुआ) ने भी मुख्यतः महिलाओं के कुल आबादी में प्रतिशत तथा कुल लाभार्थियों में प्रतिशत को ही जेण्डर घटक निर्धारित करने का आधार बताया। परन्तु कुछ मामलों में विभाग के कर्मचारियों ने महिलाओं के प्रतिशत को आधार बनाया तथा कई बार विभागों ने कोई भी एक संख्या ले ली है। हालांकि मुख्य सचिव के परिपत्र में स्पष्ट निर्देश है कि लाभार्थियों में महिलाओं का प्रतिशत या कुल आबादी में महिलाओं के प्रतिशत को ही जेण्डर घटक का आधार बनाया जाना चाहिये।

जेण्डर बजट विवरण का प्रभाव

केवल 6 विभागों को लगता है कि जेण्डर बजट विवरण का कोई प्रभाव या लाभ है। 2 विभागों को इस प्रक्रिया की कोई उपयोगिता नहीं दिखती। जाहिर है यह उन विभागों के उत्तरदाताओं की अपनी व्यक्तिगत समझ या राय भी हो सकती है।

क्रियान्वयन, निगरानी एवं रिपोर्टिंग

इस भाग में शामिल प्रश्न केवल 26 विभागों से पूछे जा सके, जिनमें से 11 ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उन्हें जेण्डर बजट उनके विभाग के लिये अप्रासंगिक लगता है।

जेण्डर बजट में दर्शाये गये जेण्डर घटक तथा महिला लाभार्थियों के प्रतिशत को प्राप्त करने के लिये कोई रणनीति नहीं है। चूंकि कुल आबादी में महिलाओं के प्रतिशत को ही बहुत से विभागों ने जेण्डर घटक दर्शाने का आधार माना है, इसलिये निर्धारित बजट को खर्च करना है। उनके लिये यह मान लेना पर्याप्त है कि महिलाओं को भी लाभ हो रहा है। 26 में से 9 विभागों ने कहा कि वे सुनिश्चित करते हैं कि विभाग को आवंटित बजट खर्च हो, जबकि 4 अन्य विभागों ने कहा कि जेण्डर बजट को लागू करने के लिये वे महिला लाभार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।

रिपोर्टिंग : 26 में से 9 विभागों ने कहा कि वे सुनिश्चित करते हैं कि विभाग को आवंटित बजट खर्च हो, जबकि 4 अन्य विभागों ने कहा कि जेण्डर बजट को लागू करने के लिये वे महिला लाभार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करते हैं।

26 में से 11 विभागों ने कहा कि उन्होनें अपने वर्तमान रिपोर्टिंग प्रारूप में जेण्डर बजट के लिये रिपोर्टिंग को भी शामिल किया है। लेकिन केवल 2 विभागों ने बताया कि उनके जिला एवं प्रखण्ड स्तर कार्यालयों से लाभार्थियों के लिंगवार आंकड़े मंगवाये जाते हैं।

निगरानी :—26 में से 10 विभागों ने निगरानी से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर दिया। इन विभागों ने बताया कि जेण्डर बजट ठीक से लागू हो तथा जेण्डर बजट में दर्शाये गये लक्ष्य प्राप्त हों इसके लिये निगरानी की जिम्मेदारी निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, वित्त अधिकारी तथा जेण्डर बजट के लिये निर्धारित प्रमुख व्यक्ति आदि की है। जाहिर है कि जेण्डर बजट विवरण को लागू करने तथा उसकी निगरानी के तरीके अभी विकसित नहीं हुये हैं। जैसा कि पहले चर्चा की गई है कि केवल 6 विभागों के पास वर्ष 2012—13 के जेण्डर बजट विवरण में दिये बजट अनुमानों के लिये वास्तविक खर्च के आंकड़े उपलब्ध हैं तथा केवल 4 विभागों के पास ही लाभार्थियों के लिंगवार आंकड़े उपलब्ध हैं।

विभागों के वार्षिक आयोजना में जेण्डर

इस अध्ययन के लिये बाद में दिये गये सुझावों के आधार पर, हमने उन 19 विभागों, जिन्होंने पूर्व में जेण्डर बजट से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर दिया था, से उनके आयोजना में जेण्डर सम्बन्धित मुद्दों के शामिल करने को लेकर कुछ प्रश्न पूछे।

इन 19 में से 2 विभागों ने बताया कि वार्षिक आयोजना में जेण्डर के मुद्दे महिलाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शामिल किये जाते हैं। 6 विभागों ने बताया कि कुल आबादी में महिलाओं के प्रतिशत के अनुसार महिला मुद्दों को शामिल करते हैं, 6 अन्य विभागों के अनुसार महिलाओं के लिये जो योजनाएं हैं उन्हें शामिल करते हुए वार्षिक आयोजना में जेण्डर संबंधी मुद्दों को शामिल किया जाता है। शेष विभागों ने कोई स्पष्ट नहीं बताया।

उत्तरदाताओं के अनुसार जेण्डर संवेदी बजट को लागू करने की मुख्य चुनौतियां

- 14 विभागों ने कहा कि उन्हें जेण्डर बजट विवरण तैयार करने में मुश्किल आती है।
- विभागों के बीच समन्वय एवं संवाद का अभाव है।
- महिलाओं में सरकारी योजनाओं की जानकारी की कमी है।
- कई विभागों के अनुसार उनकी गतिविधियों में जेण्डर बजट को लागू करने में व्यावहारिक कठिनाई आती है।
- महिलाओं की भागीदारी कम है, क्योंकि कार्यक्रम उनके अनुरूप नहीं हैं।

विभागों द्वारा दिये गये सुझाव

- हर विभाग में महिलाओं के लिये अलग बजट का आवंटन हो।
- जेण्डर बजट लागू करने के लिये पर्याप्त प्रशिक्षण तथा उपयुक्त दिशा निर्देश हों।

- महिला कर्मचारियों की नियुक्ति हो।
- महिलाओं के लिये उपयुक्त वातावरण एवं कार्य संस्कृति हो।
- विभागों के आयोजनों में जेण्डर सम्बन्धित मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

राजस्थान में हालांकि जेण्डर संवेदी बजट की प्रक्रिया 2005–06 में शुरू हो गई थी लेकिन यह अभी भी बिल्कुल प्रारम्भिक अवस्था में है। सरकार ने पिछले दो वर्षों से जेण्डर बजट विवरण जारी करना आरंभ किया है, परन्तु यह अत्यन्त अव्यवस्थित है तथा जेण्डर संवेदी आयोजना एवं बजट के लिये बहुत उपयोगी नहीं है। जेण्डर बजट विवरण में इसे दर्शाये, जेण्डर घटक या दिये गये श्रेणी के आधार का कोई विवरण नहीं दिया गया है। जेण्डर बजट विवरण 2013–14 में पिछले वर्ष दिये गये जेण्डर बजट विवरण की वास्तविक स्थिति या संशोधित अनुमान का कोई विवरण नहीं है।

लेकिन राज्य सरकार राज्य में जेण्डर संवेदी बजट को लागू करने के लिये आवश्यक संस्थानिक ढ़ांचा बनाने की प्रक्रिया में है। महिला एवं बाल विकास विभाग में ''जेण्डर बजट सेल'' के अलावा 6 अन्य विभागों में भी जेण्डर बजट सेल की स्थापना की जा रही है तथा अन्य विभागों में जेण्डर डेस्क स्थापित किये गये हैं। राज्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। साथ ही राज्य आयोजना समिति में जेण्डर संवेदी बजट पर एक कार्यकारी समूह बनाया गया है, जो अपनी रिपोर्ट सरकार को जल्द ही सौंपने वाला है।

हालांकि इस अध्ययन के लिये सरकारी विभागों द्वारा दिये गये उत्तरों से बहुत सकारात्मक तस्वीर नहीं उभरती। सम्पर्क किये गये विभागों में से आधे से कम विभागों में जेण्डर बजट के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त हुए हैं।

जेण्डर घटक दर्शाने के लिये क्या आधार लिया जाना चाहिये, इस बारे में विभागों में कोई स्पष्टता नहीं है। जेण्डर बजट विवरण लाभार्थियों में महिलाओं के अनुपात तथा कुल आबादी में महिलाओं का प्रतिशत, के अलावा विभाग के कर्मचारियों में महिला कर्मचारियों के अनुपात के आधार पर भी बनाया गया है तथा कई बार केवल कोई एक संख्या ले ली गई है। इसके अलावा 29 विभाग जिन्होंने प्रश्नावली का उत्तर दिया, उनमें से केवल 6 विभागों को जेण्डर बजट की प्रक्रिया उपयोगी लगती है। अधिकांश सरकारी विभागों के पास लाभार्थियों के लिंग आधारित आंकड़े भी नहीं हैं। केवल 6 विभाग पिछले वर्ष के जेण्डर बजट विवरण का वास्तविक स्थिति बता पाये, जबकि केवल 4 विभाग लाभार्थियों के लिंग आधारित आंकड़े उपलब्ध करवा सके।

यह अध्ययन राज्य में जेण्डर संवेदी बजट की प्रक्रिया को मजबूत बनाने की आवश्यकता को इंगित करता है। इसके लिये सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को संवेदनशील तथा जानकार बनाने की आवश्यकता है। जेण्डर बजट विवरण बनाने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने की आवश्यकता है तथा जेण्डर घटक के आधारों को स्पष्ट रूप से पारिभाषित करना जरूरी है। इसमें लाभार्थियों में महिलाओं के अनुपात के अलावा सरकारी खर्च/गतिविधियों के उद्देश्य को भी ध्यान में रखना चाहिये। जेण्डर संवेदी बजट को तथा कथित जेण्डर न्यूट्रल विभागों तथा राजस्व आय करने वाले विभागों पर लागू करना भी आवश्यक है। साथ ही राज्य में जेण्डर संवेदी बजट के अन्य औजारों जैसे जेण्डर विश्लेषण, जिसकी चर्चा मुख्य सचिव के परिपत्र में भी की गयी है, का भी उपयोग किया जाना आवश्यक है। नीचे इस अध्ययन के आधार पर राज्य में जेण्डर संवेदी बजट की प्रक्रिया को ठीक से लागू करने के लिए कुछ सुझाव दिये जा रहे हैं।

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र के सुझाव

कुछ सामान्य मुद्दे

- महिलाओं की भूमिका प्रजनन तथा उत्पादन दोनों ही से संबंधित है, अतः सरकार के सभी अंग/ सेवायें –सामान्य, सामाजिक, तथा आर्थिक सेवायें उनके लिए महत्वपूर्ण हैं।
- यह भी महत्वपूर्ण है कि महिलाएँ एक समान समूह नहीं हैं तथा उनमें वर्ग, जाति, आयु वैवाहिक स्थिति आदि जैसी विभिन्नताएं मौजूद हैं।
- जेण्डर बजटिंग का उद्देश्य सभी कार्यक्रमों/योजनाओं को जेण्डर संवेदनशील बनाना है ना कि महिलाओं के कल्याण के कार्यक्रमों को ठीक से लागू मात्र करना।
- राज्य में जेण्डर संवेदी बजट के अन्य औजारों जैसे जेण्डर विश्लेषण, जिसकी चर्चा मुख्य सचिव के परिपत्र में भी की गयी है, का भी उपयोग किया जाना आवश्यक है।
- राज्य में नोडल तथा सम्बधित अधिकारियों को जेण्डर संवेदी बजट के 5–चरण प्रक्रिया का समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

जेण्डर बजट विवरण को प्रभावी बनाने तथा राज्य में जेण्डर संवेदनशील बजट बनाने के लिये कुछ सुझाव

- सभी विभागों को अपनी गतिविधीयों के जेण्डर प्रभावों का अध्ययन करना चाहिये, तथा इसके आधार पर जेण्डर संवेदनशील बजट बनाया जाना चाहिए।

- जेण्डर बजट विवरण विभागवार और/या मुख्य शीर्षवार उपलब्ध कराया जाना चाहिये।
- **वर्तमान जेण्डर बजट विवरण में एक विभाग के सभी बी.एफ.सी. के आंकड़े एक जगह दर्शाने से वर्तमान जेण्डर बजट भी विभागवार बनाया जा सकता है।**
- श्रेणी पूरे योजना/कार्यक्रम को दी जानी चाहिए ना कि उनके तीन भागों को।
- लाभार्थियों के लिंगवार ऑकड़े इकट्ठे किए जाने चाहिए तथा उनको जेण्डर बजट का आधार बनाया जाना चाहिए।
- जेण्डर बजट विवरण को स्पष्ट करने हेतु विस्तृत स्पष्टीकरण नोट दिया जाना चाहिए।
- जेण्डर बजट विवरण से कुछ स्पष्ट नीतिगत सुझाव निकालने चाहिए जैसे कि क्या किसी कार्यक्रम/योजना में बजट बढ़ाने कि आवश्यकता है या योजना को लागू करने के तरीके में बदलाव की जरूरत है।
- श्रेणी B का दायरा काफी बढ़ा (30–70 प्रतिशत) है। अतः इसे दो भागों में बांटा जा सकता है।
- सभी विभागों को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में जेण्डर संवेदनशीलता पर एक अध्याय जोड़ना चाहिए।
- राज्य के मुख्य सचित द्वारा हाल ही में जारी एक प्रपत्र में जेण्डर तटस्थ (Gender neutral Sectors) क्षेत्रों की चर्चा की गयी है। इन जेण्डर तटस्थ योजनाओं की महिलाओं पर होने वाले प्रभावों की दृष्टि से अध्ययन किया जाना चाहिए। जैसे :
    - शहरी विकास/शहरी नियोजन में शहरों में महिलाओं के लिए जन सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उपाय किए जा सकते हैं।
    - आधारभूत संरचना वाली परियोजनाओं (सड़क, बांध, सिंचाई आदि) में रोजगार सृजन में महिलाओं का हिस्सा तथा कार्य स्थिति को महिला मजदूरों के अनुकूल बनाने के प्रयासों को जेण्डर बजट का आधार बनाया जा सकता है।
    - गृह विभाग, पुलिस को जेण्डर संवेदनशीलता तथा महिलाओं के विरूद्ध हो रहे

अपराधों पर प्रशिक्षण करवा सकता है।

- कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों में लाभार्थियों में महिलाओं की संख्या के अलावा उन कार्यक्रमों के उद्देश्यों को भी जेण्डर बजट का आधार बनाया जा सकता है। जैसे पुलिस का जेण्डर संवेदनशीलता प्रशिक्षण।
- जेण्डर बजट विवरण में वर्तमान वर्ष का संशोधित तथा पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़े भी उपलब्ध कराये जाने चाहिये।

राजस्व विभाग

- भू राजस्व तथा अन्य राजस्व विभागों को भी अपनी नीतियों का जेण्डर प्रभावों का आकलन करना चाहिए। उदाहरण के लिए
    - भू राजस्व नीति क्या महिलाओं के संपति के अधिकारों की रक्षा करती हैं।
    - क्या एकल व विधवा महिलाओं के भू अधिकारों का संरक्षण किया जा रहा है।
    - अन्य राजस्व, जैसे उपयोग शुल्क, कहीं यह महिलाओं की उन सेवाओं तक पहुँच कम तो नहीं कर रहे हैं।

जेण्डर बजट विवरण के लिए एक वैकल्पिक प्रारूप

विभाग/मुख्य शीर्ष का नाम

योजना/कार्यक्रम का नाम	कुल बजट	जेण्डर घटक राशि	जेण्डर घटक (प्रतिशत)	श्रेणी (A, B, C, D)	श्रेणी देने का आधार*
कुल विभाग/मुख्य शीर्ष					

* लाभार्थियों में महिलाओं का प्रतिशत, आबादी में महिलाओं का प्रतिशत, कार्यक्रम/योजना के उद्देश्य आदि। यदि लागू नहीं हो या खर्च का वितरण संभव नहीं हो या आंकड़े उपलब्ध ना हो तो सूचित करें।

संदर्भ सूची

- जेण्डर बजट पर अवधारणा पत्र, जेण्डर बजट सेल, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान
- जेण्डर बजट बनाने हेतु क्रमवार निर्देशिका, जेण्डर बजट सेल, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान
- वेबसाइट, महिला एवं बाल कल्याण विभाग www.wcd.rajasthan.gov.in
- राजस्थान सरकार का परिपत्र, जेण्डर बजट स्टेटमेन्ट, दिनांकः 8 नवम्बर 2012
- राजस्थान सरकार का बजट परिपत्र, वित्त विभाग, दिनांकः 31 अगस्त 2012 तथा 31 अगस्त 2011
- राजस्थान सरकार का परिपत्र, आयोजना विभाग, दिनांकः 18 अप्रेल 2013
- बजट मैन्युअल खण्ड–I तथा II, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार
- बजट पुस्तिका, राजस्थान सरकार
- जेण्डर बजट विवरण, 2012–13 एवं 2013–14
- वेबसाइट वित्त विभाग www.finance.rajasthan.gov.in
- 6 विभगों का जेण्डर बजट विश्लेषण रिपोर्ट, 2005–06, वेबसाइट, आयोजना विभाग www.evaluation.rajasthan.gov.in/budgetingreports.aspx पर उपलब्ध
- मिश्रा, यामिनी एवं सिन्हा, नवनिता, 2012, "जेण्डर रेस्पॉन्सिव बजटिंग इन इण्डिया : व्हाट हैज गॉन रॉन्ग", इकॉनोमिक एण्ड पॉलिटीकल वीकली, 28 अप्रेल, 2012
- बुडलेण्डर, डेब्बी तथा अन्य, 2002, जेण्डर बजट्स मेक सेन्टः अन्डरस्टैन्डिग जेण्डर बजट, लंदन
- बैनर्जी, निर्मला तथा रॉय, पुलामी, 2004, "जेण्डर इन फिस्कल, पॉलिसीज : द केस ऑफ वेस्ट बेंगाल" यूनिफेम, कोलकाता
- शार्प, रोण्डा, 2003, बजटिंग फॉर इक्विटी, यूनीफेम
- आर्थिक सर्वेक्षण 2012–13, भारत सरकार,
- राजस्थान विधानसभा वेबसाईट www.rajassembly.nic.in
- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, 2009, जेण्डरिंग ह्युमन डेवलमेंट इंडिसेज, http://wcd.nic.in/publication/gdigemSummary%20Report/GDIGEMSummary.pdf

संलग्नक 1

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
जेण्डर संवेदी बजट पर अध्ययन

दिनांकः

नामः.....

पदः.....

विभागः.....

प्रश्न 1. क्या आपके विभाग में जेण्डर बजट के लिए कोई नोडल अधिकारी है?

हाँ नहीं

प्रश्न 2. क्या आपने जेण्डर बजट पर कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया है?

हाँ नहीं

यदि हाँ तो प्रशिक्षण किसने प्रदान किया ?

.....

क्या आप प्रशिक्षण से संतुष्ट है?

हाँ नहीं

यदि नहीं तो क्यों ?

.....

प्रश्न 3. क्या आपके विभाग ने जेन्डर बजट (2013–14) बना कर जमा करवाया है?

हाँ नहीं

यदि हाँ तो क्या यह बजट राज्य सरकार के वर्मंमान बजट में शामिल किया गया?

हाँ नहीं

यदि हॉ तो कृपया प्रतिलिपि प्रदान करें।

.....

प्रश्न 4. क्या आपके विभाग और जेण्डर सेल के बीच समन्वयन से जेण्डर बजट तैयार होता है?

हाँ नहीं

यदि हॉ किस प्रकार का समन्वयन ?

.....

प्रश्न 5. आपके विभाग में कितनी BFC यूनिट हैं?

.....

प्रश्न 6. कितनी BFC यूनिट के लिए GBS तैयार किया गया?

.....

प्रश्न 7. क्या जेण्डर सेल द्वारा बताया गया कोई प्रपत्र मिला है?

हाँ नहीं

यदि हाँ तो आपके विभाग के द्वारा प्रपत्र भरा गया?

हाँ नहीं

यदि हॉ तो किसने भरा? क्या आप एक प्रति प्रदान कर सकते हैं।

.....

प्रश्न 8. क्या अपने या आपके विभाग में से किसी ने जेण्डर बजट प्रपत्र पर कोई प्रशिक्षण लिया है?

हाँ नहीं

यदि हाँ तो प्रशिक्षण किसने दिया ?

.....

क्या आप प्रशिक्षण से संतुष्ट है ?

हाँ नहीं

यदि नहीं तो क्यों ?

.....

प्रश्न 9. GBS प्रपत्र में किस आधार पर लाभान्वितों का हिस्सा तय किया गया है?

1	आयोजन भिन्न	
2	आयोजना केन्द्र	
3	प्रवर्तित योजना	

प्रश्न 10. क्या विभाग के पास योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं और पुरूषों का आंकड़ा है?

हाँ नहीं अन्य

यदि हाँ तो आंकडा प्रदान करें।

.....

प्रश्न 11. जेण्डर बजट स्टेटमेन्ट में जो लाभान्वितों का आंकड़ा दिया गया है वह पिछले वर्ष का है या इस साल 2013–14 के लिए प्रस्तावित है ?

.....

प्रश्न 12. विभाग यह कैसे सुनिश्चित करता है कि जो लक्ष्य GBS में महिला लाभान्वितों के लिए रखा है, वह पूरा हो रहा है?

.....

प्रश्न 13. क्या जेण्डर बजट स्टेटमेन्ट का प्रपत्र भरते समय कोई कठिनाई हुई?

हाँ नहीं

यदि हाँ तो आपने इस सम्बध में जेन्डर सेल से बातचीत की?

.....

यदि हाँ तो किस प्रकार की सहायता प्राप्त की?

.....

प्रश्न 14. GBS में एक ही योजना के लिए आयोजना भिन्न, आयोजना तथा केन्द्र प्रवर्तित योजना के लिए महिला लाभार्थियों के अलग–अलग तरह के आंकडे दिये गए हैं ऐसी स्थिति में महिलाओं पर किया गया कुल खर्च का अनुमान कैसे किया जा सकता है?

.....

प्रश्न 15. क्या इस वर्ष में बनाएं GBS में पिछले बजट कि तुलना में कोई अंतर आया है?

हाँ नहीं

यदि हाँ तो विवरण दें

.....

प्रश्न 16. वर्तमान GBS में रिर्पोटिंग का क्या सिस्टम है?

.....

प्रश्न 17. GB को लागू करने के लिए कोई निरीक्षण प्रक्रिया है?

हाँ नहीं

यदि हाँ तो क्या ?

.....

प्रश्न 18. क्या ब्लॉक या जिला स्तर पर जेण्डर बजट की रिर्पोटिंग के लिए कोई प्रपत्र है?

हाँ नहीं

यदि हाँ तो एक प्रति दें

.....

प्रश्न 19. क्या GBS के कारण महिलाओं एवं बच्चों के पक्ष में वर्तमान कार्यक्रमों में सुधार हुआ है?

.....

प्रश्न 20. आपके विचार में GRB को और अच्छे तरीके से आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है?

.....

प्रश्न 21. आपकी दृष्टि से GRB को लागू करने में क्या चुनौतीयां हैं?

.....

संलग्नक 2

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र
जेण्डर संवेदी बजट पर अध्ययन

दिनांकः

नामः.....

पदः.....

विभागः.....

प्रश्न 1. क्या आप योजना बनाने से पहले महिला सगंठनो तथा जनप्रतिधियों की सलाह लेते हैं।

हाँ नहीं

प्रश्न 2. बजट योजना बनाने की निशचित समयावधि क्या है?

.....

प्रश्न 3. क्या आप बजट योजना बनाने में अपने विभाग के कर्मचारीयों की सलाह लेते हैं?

हाँ नहीं

प्रश्न 4. क्या आप जेण्डर बजटिंग के लिए योजना विभाग की सलाह लेते है?

हाँ नहीं

प्रश्न 5. क्या आपके द्वारा विभाग की वार्षिक योजना तैयार की गई है?

हाँ नहीं

प्रश्न 6. आपके द्वारा विभाग की वार्षिक योजना में जेण्डर संवेदनशीलता किस प्रकार रखी जाती है?

.....

प्रश्न 7. आपके द्वारा विभाग की बजट योजना में जेण्डर संवेदनशीलता किस प्रकार रखी जाती है?

.....

प्रश्न 8. आपके विभाग द्वारा आपके विभाग के जेण्डर सबंधित मुद्दों पर कोई अध्ययन हुआ है?

.....

संलग्नक 3

जेण्डर बजट सेल द्वारा जारी जेण्डर बजट विवरण का प्रारूप

Performa for Online submission fo Gender Budget Statement as reflected in the IFMS of Finance Department Government of Rajasthan

प्रपत्र–11

जेण्डर बजट विवरण (Gender Budget Statement) – A से D श्रेणी

विभाग का नाम .....

आयोजना भिन्न/आयोजना/केन्द्र प्रवर्तित योजना

(रूपये सहस्त्र में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बजट शीर्ष (पूर्ण बजट शीर्ष अंकित करें)	बजट अनुमान 2013–14	बजट अनुमान 2013–14 में आवंटन के आधार पर श्रेणियों							
				A		B		C		D	
				70 प्रतिशत से अधिक		70–30 प्रतिशत के मध्य		30–10 प्रतिशत के मध्य		10 प्रतिशत से कम	
				राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

नोट : 1. आयोजना भिन्न / आयोजना / केन्द्र प्रवर्तित योजना में से चयन करना होगा ।

बार्क के अन्य प्रकाशनों की सूची

शीर्षक	Title in English	प्रकाशन तिथि
दक्षिणी राजस्थान में शिक्षा का अधिकार : एक अध्ययन	Right To Education In Southern Rajasthan : A Study	फरवरी, 2012
बजट को वंचित समुदायों की हकदारी से जोड़ने के प्रयास	Linking Budgets To The Concerns Weaker Sections	2012
राजस्थान : वर्तमान वित्तीय स्थिति	Rajasthan : A Study of State Finances	फरवरी, 2012
भारत में राज्य बजट में पारदर्शिता : मुख्य परिणाम	Transparency in State Budget in India : Summary Fact Sheet	2011
भारत में राज्य बजट में पारदर्शिता : राजस्थान	Transparency in State Budget in India : Rajasthan	2011
बजट अध्ययनः एक परिचय	Budget Study: An Introduction	अगस्त, 2010
राज्य में खाद्य सुरक्षा एवं सम्बन्धित योजनाएं : एक अध्ययन	Food Security and Related Schemes in the State: A Study	अगस्त, 2010
कृषि ऋण–कितना सार्थक ?	Agriculture Loan: How Good	जून, 2010
लुप्त होती लघुवन उपज : खतरे में आदिवासी आजिविका	Depleting Mining Forest Produce: Threat to Tribal Livelihood	दिसम्बर, 2009
दलितों के लिए राज्य की कल्याणकरी योजनाएं	State's Welfare Schemes for Dalits	जून, 2009
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून : कियान्वयन में सुधार की आवश्यकता	NREGA: Need of Reform in Implementation	दिसम्बर, 2008
स्वजलधारा : व्यर्थ बहा जनता का पैसा	'Swajal Dhara': People's Money Drained	जुलाई, 2008
ग्रामीण लघु उद्योग क्षेत्र में सरकारी प्रयासों की कथनी–करनी : एक नजर	Reality of Government Efforts in Small Industry Sector: A Study	अप्रेल, 2008
सरकारी विकास योजनाऐं और आम आदमी तक उनकी पहुंचः एक आंकलन	Government Development Schemes and their reach to common People: An Assessment	दिसम्बर, 2007
सामाजिक सेवाओं पर व्यय (राज्य के बजट से)	Spending on Social Sector (From State Budget)	मार्च, 2007
राजस्थान में विधवाओं का अभावग्रस्त जीवन : राज्य ने क्या भूमिका निभाई?	The Destitution of Widows in Rajasthan: What role has the state played?	फरवरी, 2007
स्थानीय स्तर पर लिंग आधारित बजट (जैण्डर बजट) : कैसे करेंगे पैरवी	Gender Budget at State Level: How to do Advocacy	दिसम्बर, 2006
दलित, गरीब तथा वंचित लोगों के लिए समाज कल्याण, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायतीराज विभाग एवं खाद्य–नागरिक आपूर्ति विभाग की कल्याणकारी योजनाएं	Welfare Schemes for Dalits, Poor and Marginalised	नवम्बर, 2006
राजस्थान में फसल बीमा : सुधार की आवश्यकता	Crop Insurance in Rajasthan: Need of Improvement	सितम्बर, 2006
बजट की तकनीकी शब्दावली	Budget Terminologies	सितम्बर, 2006
दलित एवं आदिवासियों के लिए बजट एवं योजनाएं	Budget and Schemes for Dalits and Tribals	नवम्बर, 2005
गरीबी हटाओ अभियानः कितना सफल–कितना असफल	'Gharibi Hatao': How Successful	

बार्क टीम : नेसार अहमद
महेन्द्र सिंह राव
भूपेन्द्र कौशिक
सुचेता शर्मा
बरखा माथुर
निधि निर्वाण
अंकुश वर्मा

सलाहकार : डॉ. जिनी श्रीवास्तव

"Budget Links Policy to People and People to Policy"

बजट अध्ययन राजस्थान केन्द्र

पी–1, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर (राज.)
फोन / फैक्स : 0141 – 238 5254
ई–मेल : info@barcjaipur.org
वेबसाईट : www.barcjaipur.org

Design & Printed by : www.printmediaservices.in # 9928444668